

प्रेस विज्ञप्ति

## जामिया के डॉ. मोहम्मद फैजुल्लाह खान एनआईओएस में डिपार्टमेंटल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य नियुक्त

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आईएएसई में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद फैजुल्लाह खान को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के विभागीय सलाहकार बोर्ड (डीएबी) का सदस्य नियुक्त किया गया है। डीबीए की भूमिकाओं और कार्यों में विभाग के मुख्य फोकस क्षेत्रों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, छात्रों, अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और एनआईओएस के सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिव्यू की रिकमेन्डेशन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, डीबीए को विभागीय कार्यक्रमों के प्रभावी निष्पादन की देखरेख, विभाग के लिए रणनीतिक योजनाएँ तैयार करना या प्रस्तावित करना और छात्र सहायता सेवाओं को बढ़ाने के लिए नीति-निर्माण में सहायता करना शामिल है।

उनकी नियुक्ति पर, जेएमआई के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य के प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

डॉ. खान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग, पुनर्वास उपकरण और उपकरण अनुभागीय समिति (एमएचडी 09) के प्रमुख सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं, जो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। वे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद के तहत दिल्ली और हरियाणा उत्तरी क्षेत्र- III के लिए क्षेत्रीय समन्वय समिति (जेडसीसी) के सदस्य भी हैं। इसके अतिरिक्त, वे दिल्ली और हरियाणा के लिए राष्ट्रीय बहु-दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईएमडी)- राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान बोर्ड (एनबीईआर) के लिए नोडल अधिकारी और राज्य प्रभारी का पद भी संभालते हैं।

डॉ. खान भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के तहत एक विशेषज्ञ समिति में बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले व्यक्तियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से विशेष शिक्षकों और पुनर्वास चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास में शामिल एक विशेषज्ञ सदस्य हैं। इसके अलावा, वह राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) और RCI के लिए एक विजिटिंग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं, और आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत मदरसा शिक्षा बोर्ड के एक विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर, वह रोस्टर समिति के सदस्य हैं, जिसे आरक्षण रोस्टर की तैयारी और रखरखाव के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की पहचान करने का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, वह उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (2024) के तहत विशिष्ट सीखने की अक्षमता (CBSLDs) पर क्षमता निर्माण के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। उनके काम का एक उल्लेखनीय पहलू विधायी वकालत और नीति विकास में उनकी भागीदारी है। डॉ. खान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों को प्रभावित करने और उन्हें आकार देने के लिए समर्पित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक सहायता सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो।

डॉ. खान के योगदान ने भारत में शैक्षिक ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है, विशेष रूप से जागरूकता को बढ़ावा देने, समावेशी प्रथाओं को अपनाने और विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए सहायता प्रणालियों में सुधार के संबंध में। उनकी पहल एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों को फलने-फूलने और सफलता प्राप्त करने का मौका मिले।

संक्षेप में, डॉ. खान की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और उपलब्धियों की उल्लेखनीय श्रृंखला समावेशी शिक्षा को बढ़ाने और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जो उन्हें इस क्षेत्र में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया